

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3930
दिनांक : फरवरी, 2008
20/3/08

सचिव,

कालका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एण्ड एडवांन्स स्टडीज,
परतापुर बाईपास, मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-5629/सत्तर-2-2007-2 (345)/2002, दिनांक 25.01.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कालका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एण्ड एडवांन्स स्टडीज, परतापुर बाईपास, मेरठ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्वयं चिन्तित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
 2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
 3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार कालका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एण्ड एडवांन्स स्टडीज, परतापुर बाईपास, मेरठ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्वयं चिन्तित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूचित है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

महोदय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

DIRECTOR
KALKA INSTITUTE FOR RESEARCH
AND ADVANCED STUDIES, MEERUT